

वेदों - श्रीमान जी - पं. ड. बाजोरा के गणपति
 आदेश पत्र को स्वयंभू में जारी की गई। जिला उपायुक्त
 उम - शिवानदी के जमानतक 38 में शारदा कु
 नाग सुमादेवी पत्नि - शुकन कुमार गलत दर्ज है जिनके द्वारा
 पर लब्धन शिवानदी के भाषावर पर सुमती पत्नि
 शुकन कुमार उद्ध विवा ज्ञानी

क्रमांक राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश पत्र में वर्णितानुसार आदेशक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आदेशक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चय की जाती है।
 उक्त किता ज्ञानी
 उचित है

दिनांक - 6/12/21
 7/12/21
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला सुंयुक्त (राज.)
 आदेश :-

दिनांक :- 07/12/21

पार्श्व के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गिरान्डी	2075 + 2078	38	सुमादेवी पत्नि शुकन कुमार	सुमती पत्नि शुकन कुमार

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 7/12/21

राजस्व/2020/ 2064

तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
 प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

